ई–मेल

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462021
दूरभाष 0755– 2583650 फेक्स 0755– 2583651
ई–मेल dpimp@ sancharnet.in

क्र./बजट/ए/09–10/529 – भोपाल, दिनांक 07.09.09

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोकशिक्षण,
2. संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ठ, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
4. प्राचार्य टी.टी.कॉलेज शिवपुरी
5. योग विभागाध्यक्ष, योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 के बजट कार्यक्रम बाबत।

संदर्भः– म.प्र.शासन वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक/892/आर 1133/चार/ब–1/09 दिनांक 29.08.09

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं 2010–11 के बजट अनुमान के साथ विस्तृत जानकारियॉ चाही गयी हैं। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।

वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान दिनांक 26.09.09 को वित्त विभाग के अधिकारियों से चर्चा की जाना है। अतः उसके पूर्व बजट प्रस्ताव संचालयनालय एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार कर वित्त विभाग को प्रेषित किये जाना होंगे। अतः संदर्भित पत्र के संलग्न समस्त निर्धारित प्रपत्रों में चाही गयी जानकारी उसके अनुसार ही दी जावे। पत्र में दर्शाये अनुसार समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी, संविदा कर्मचारियों की जानकारी, राजस्व प्राप्तियॉ, वर्ष 2008–09 में समर्पित राशि, व्यक्तिगत खाता, के–डिपॉजिट, बैंक खाता की जानकारियॉ भी संलग्न की जाना है। इस संबंध में शासन द्वारा निर्धारित सॉफ्टवेयर म.प्र. वित्त विभाग की बेब साइट **(www.mp.gov.in/finance Budget Programme 2010-2011)** पर दर्ज कर दिया गया है। मुद्रा सॉफ्टवेयर प्राप्त करने हेतु दिनांक 10.09.09 को बजट प्रभारी को संचालनालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।

उक्त समस्त जानकारियॉ मुद्रा सॉफ्टवेयर में दर्ज कर हार्डकॉपी सहित दिनांक 15.09.09 तक विशेष वाहक के द्वारा भेजा जाना सुनिश्चित करें। जानकारी प्राप्त न होने पर आप स्वंय उत्तरदायी होंगे।

07/09/09

संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ.क्र./बजट/ए/09–10/530 भोपाल, दिनांक 07.09.09

प्रतिलिपि–

सहायक संचालक (लेखा) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चाही गयी जानकारी निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7/09/09

संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन,
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/892/आर 1133/चार/ब–1/09 भोपाल, दिनांक 29 अगस्त, 2009

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय,
भोपाल ।

विषयः– वर्ष 2010–11 का बजट कार्यक्रम ।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान को 31 जनवरी, 2010 तक अन्तिम रूप दिया जाकर फरवरी माह में विधान सभा को प्रस्तुत किया जाना है । इसके लिये वित्त विभाग द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर बजट अनुमान को अन्तिम रूप दिया जाना है । इस हेतु विस्तृत कार्यक्रम इस पत्र के साथ संलग्न है ।

2/– वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान के लिये निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें :–

(i) अपर सचिव/ उप सचिव स्तर पर बजट चर्चा यथासंभव विभागाध्यक्ष एवं वित्तीय सलाहकार के साथ ही की जायेगी । इस हेतु प्रतिनिधि मान्य नहीं होंगें। चर्चा का कलेण्डर पत्र के साथ संलग्न है ।

(ii) विभागों की बजट बुक में बजट प्रावधान के अलावा पदों से संबंधित विवरण भी मुद्रित होता है । इस प्रकार दिनांक 31/3/2009 की स्थिति में पदों की जानकारी बजट बुक में विधानसभा में प्रस्तुत की जायेगी । अतः विभागाध्यक्ष से प्रमाणित की गई, आहरण संवितरण अधिकारी वार जानकारी प्रपत्र–''अ'' पर 25 सितंबर, 2009 तक प्रदान की जाये । यह जानकारी मुद्रा साफ्टवेयर में भी प्रेषित की जाये ।

प्रपत्र '' अ''

क्र	स्कीम का नाम व शीर्ष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्यालय का नाम व कोड	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड–पे	स्वीकृत पद (सांख्यतेर पद सहित)	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9

इसके अलावा विभाग अंतर्गत संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी निम्नानुसार प्रपत्र–ब पर दी जावे । यह जानकारी भी मुद्रा साफ्टवेयर में दी जाये ।

प्रपत्र–'' ब''

क्र	स्कीम का नाम	पदनाम	पद पर कार्यरत व्यक्ति को मासिक भुगतान की दर (राशि रूपये में)	स्वीकृत पद	भरे पद
1	2	3	4	5	6

(iii) अनुपयोगी योजनाओं को समाप्त करते हुये समान प्रकार की योजनाओं को मिलाकर (club) योजना का सुसंगत नामकरण किया जाना चाहिये । सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तीनों सेगमेंट में एक ही प्रकार की योजना होने पर उनके स्कीम कोड/ नामकरण समान रखे जाये।

(iv) मांग संख्याओं का युक्तियुक्तकरण एवं जिन मांग संख्याओं में सिर्फ रूपये 1000 का प्रावधान है, उन्हें समाप्त किया जाये ।

(v) उद्देश्य शीर्ष # 42–007 अन्य एवं विस्तृत शीर्ष 008 अन्य में व्यय के सिर्फ ऐसे प्रावधान ही प्रस्तावित किये जाने चाहिये जिन्हें किसी भी अन्य विस्तृत शीर्ष में प्रस्तावित करना संभव न हो ।

(vi) जेण्डर बजट की चर्चा, बजट चर्चा के साथ ही की जायेगी । अतः तदनुसार उक्त बजट हेतु भी प्रावधान प्रस्तावित किये जायें । योजनाओं में gender perspective को ध्यान में रखकर महिलाओं के विकास के लिये किस प्रकार अधिक राशि प्रावधानित की जा सकती है, के प्रयास किये जायें।

(vii) परिणामी बजट अंतर्गत वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में अगस्त, 09 तक विभाग द्वारा चिन्हित मापनीय प्रदेय (quantifiable deliverables) में लक्ष्यों के विरूद्ध प्राप्ति की जानकारी भी बजट चर्चा के साथ लाई जानी चाहिये, ताकि वर्ष 2010–11 हेतु उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित करना संभव हो सके।

(viii) कर एवं कर–भिन्न राजस्व को छोड़कर केन्द्र एवं अन्य बाहरी स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली राशियों, यथा सहायक अनुदान, ऋण तथा ऋण एवं अग्रिम की वसूली की जानकारी निम्नांकित प्रपत्र पर दी जाये । यह जानकारी मुद्रा साफ्टवेयर में भी दी जाये ।

क्र.	योजना का नाम	प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां	रिमार्क
		केन्द्र से प्राप्तियां	ऋण वसूली	अन्य		
1.	2	3	4	5.	6.	7.

(ix) कर राजस्व संग्रहण से संबंधित विभागों की चर्चा में करों में दी गई छूट/आस्थगन के फलस्वरूप वर्ष 2008–09 के राजस्व की विभिन्न मदों में हुई कमी की राशि की जानकारी दी जाये । इसे आगामी वर्ष के बजट के समय विधानसभा को प्रस्तुत करना प्रस्तावित है, अतः कमी की राशि की गणना सही विधि अपनाकर की जानी चाहिये ।

(x) प्रत्येक योजना के लिये योजना का संक्षिप्त विवरण, वित्तपोषण की संरचना यथा राज्यांश/केन्द्रांश/ अन्य, का हिस्सा प्रतिशत में दर्शाया जाये । योजनांतर्गत

भविष्य में होने वाले वित्तपोषण में पूर्व से निर्धारित संशोधन एवं योजना प्रारंभ दिनांक से अब तक वर्षवार हुये संशोधनों की जानकारी भी दी जाये । यह जानकारी मुद्रा साफट वेयर में भी दी जाये ।

क्रं	योजना का नाम	वित्त पोषण की संरचना (प्रतिशत में)			भविष्य में होने वाले वर्षवार निर्धारित संशोधन (प्रतिशत में)				योजना के प्रारंभ से अब तक हुये वर्षवार संशोधन (प्रतिशत में)			
		केन्द्रांश	राज्यांश	अन्य	वर्ष	केन्द्र	राज्य	अन्य	वर्ष	केन्द्र	राज्य	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(xi) राज्य शासन की संस्थाओं को सीधे प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता (आफ बजट) राशियों का विवरण मुद्रा साफ्टवेयर में निर्धारित प्रारूप अनुसार प्रस्तुत किया जाये ।

(xii) स्कीम कोड जिनमें वर्ष 2008–09 में रूपये 1 करोड़ या उससे अधिक के प्रावधान थे, उनमें बचत एवं समर्पित राशि की जानकारी भी संलग्न प्रपत्र में बजट चर्चा के समय लायी जाये। आगामी वित्तीय वर्ष में विभागों को बजट आवंटन त्रैमासिक रूप से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है । इस व्यवस्था अंतर्गत त्रैमास के अंत में शेष राशि व्यपगत हो जायेगी तथा इस बचत का उपयोग अनुपूरक अनुमानों के लिये किया जायेगा ।

क्र.	स्कीम कोड	08–09 में बजट प्रावधान	बचत राशि	समर्पित राशि	बचत/समर्पण के कारणों पर टीप
1	2	3	4	5	6

अतः आयोजना मद में प्रावधान की जाने वाली राशि के त्रैमासिक व्यय का प्रस्तावित विवरण दिया जाये । यह जानकारी मुद्रा साफ्टवेयर में भी दी जाये।

क्रं	योजना का नाम	कुल प्रावधान	त्रैमासिक प्रस्तावित व्यय (माह अप्रेल, 2010 से मार्च 2011 तक)			
			प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास
1	2	3	4	5	6	7

(xiii) राज्य शासन द्वारा विभिन्न विभागों/संस्थाओं को प्रीमियम/भू–भाटक पर शासकीय भूमि आवंटित की जाती है । कुछ विभागों/संस्थाओं द्वारा उपरोकतानुसार आवंटित भूमियों का प्रीमियम/भू–भाटक शासकीय खजाने में जमा नहीं किया गया है । अतः वसूली हेतु लंबित प्रीमियम/भू–भाटक की राशि का विवरण निम्न प्रारूप में दिया जाये । यह जानकारी जिस विभाग द्वारा संस्था के लिये आवंटन आदेश जारी किया गया हो, उनके द्वारा दी जाये । यह जानकारी मुद्रा साफ्टवेयर में भी दी जाये ।

क0	आवंटित भूमि जिला/रकबा	31/3/09 की स्थिति में वसूली हेतु लंबित राशि		
		प्रीमियम	भू–भाटक	अन्य
1	2	3	4	5

(xiv) विभागों द्वारा संधारित व्यक्तिगत जमा खातों/के–डिपाजिट/ अन्य बैंक खातों की जानकारी प्रपत्र–1/2/3/4 पर दी जाये । यह जानकारी मुद्रा साफ्टवेयर में भी दी जाये।

<u>व्यक्तिगत जमा खाता</u> (ब्याज रहित)

प्रपत्र–1

क	खाता कमांक	कोषालय का नाम जिसमें खाता है	खाता किसके नाम से है	खाते का उद्देश्य	वित्त विभाग की सहमति के आदेश का कमांक एवं दिनांक	खाता कब से संचालित है	विगत 3 वर्षों (06–07 से 08–09 तक) में खाते में जमा /आहरण की स्थिति			31/3/09 की स्थिति में जमा राशि
							वित्तीय वर्ष	जमा राशि	आहरित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

व्यक्तिगत जमा खाता (ब्याज सहित)

प्रपत्र–2

क	खाता क्रमांक	कोषालय का नाम जिसमें खाता है	खाता किसके नाम से है	खाते का उद्देश्य	वित्त विभाग की सहमति के आदेश का क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6

खाता कब से संचालित है	विगत 3 वर्षों (06–07 से 08–09 तक) में खाते में जमा /आहरण की स्थिति			विगत 3 वर्षों (2006–07 से 2008–09)में ब्याज के रूप में जमा राशि		31/3/09 की स्थिति में जमा राशि
	वित्तीय वर्ष	जमा राशि	आहरित राशि	वर्ष	राशि	
7	8	9	10	11	12	13

के–डिपाजिट

प्रपत्र–3

क्र0	वित्त विभाग द्वारा राशि के–डिपाजिट में जमा करने हेतु जारी आदेश का क्रमांक/दिनांक	जमा राशि	जमा करने का उद्देश्य	31/3/09 की स्थिति में जमा राशि
1	2	3	4	5

बैंक खाता (बचत/चालू/सावधि जमा (**FD**)

प्रपत्र–4

क्र0	कार्यालय का नाम	बैंक का नाम	खाते का प्रकार			खाता क्रमांक	खाते का उद्देश्य
			बचत	चालू	सावधि (FD)		
1	2	3	4	5	6	7	8

खाता कब से संचालित है	वित्त विभाग की सहमति के आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	विगत 3 वर्षों (06–07 से 08–09 तक) में खाते में जमा /आहरण की स्थिति			विगत 3 वर्षों (2006–07 से 2008–09)में ब्याज के रूप में जमा राशि		31/3/09 की स्थिति में जमा राशि
		वित्तीय वर्ष	जमा राशि	आहरित राशि	वर्ष	राशि	
9	10	11	12	13	14	15	16

अनुरोध है कि संलग्न समय सारणी अनुसार संपूर्ण जानकारी के साथ बजट चर्चा में उपस्थित रहने का निर्देश सर्वसंबंधितों को दिये जाने का कृपया कष्ट करें ।

(जी0 पी0 सिंघल)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग

पृ.कमांक/893 /आर 1133/चार/ब–1/09 भोपाल, दिनांक 29 अगस्त, 2009

प्रतिलिपि :–

1– अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर

समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश

2– निबंधक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, इंदौर
सचिव, लोक आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल

3– राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्य प्रदेश भोपाल
सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल

4– मुख्य लेखा अधिकारी, मध्य प्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।

5– महालेखाकार (लेखा/आडिट) मध्य प्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।

6– वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

विषयः— वित्त विभाग में अवर सचिव / उप सचिव स्तर की चर्चाओं का कार्यक्रम

(प्रतिदिन समय 11.00 बजे से)

बजट शाखा का नाम	विभाग का नाम	अपर /उप सचिव चर्चा की दिनांक	
		राजस्व एवं आयोजनेतर	आयोजना
बजट शाखा–1	योजना आर्थिक एवं सांख्यकीय वाणिज्यिक कर परिवहन खनिज साधन उर्जा विभाग	25.9.09 26.9.09 29.9.09 30.9.09 1.10.09	5.10.09 6.10.09 7.10.09 8.10.09 9.10.09
बजट शाखा–2	आवास एवं पर्यावरण नगरीय प्रशासन एवं विकास वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार पर्यटन संस्कृति विमानन विभाग	25.9.09 26.9.09 29.9.09 30.9.09 1.10.09 3.10.09	5.10.09 6.10.09 7.10.09 8.10.09 9.10.09 12.10.09
बजट शाखा–3	उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा तकनीकी शिक्षा जनशक्ति नियोजन सूचना प्रौद्योगिकी जैव विविधता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खेल एवं युवक कल्याण विभाग	25.9.09 26.9.09 29.9.09 30.9.09 1.10.09 3.10.09 25.9.09 26.9.09	5.10.09 6.10.09 7.10.09 8.10.09 9.10.09 12.10.09 13.10.09 14.10.09
बजट शाखा–4	खाद्य एव नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता सं. मछलीपालन सहकारिता किसान कल्याण एवं कृषि विकास पशुपालन ग्रामीण विकास पंचायत एवं समाज कल्याण ग्रामोद्योग विभाग उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	25.9.09 26.9.09 29.9.09 30.9.09 1.10.09 3.10.09 25.9.09 26.9.09 29.9.09	5.10.09 6.10.09 7.10.09 8.10.09 9.10.09 12.10.09 13.10.09 14.10.09 15.10.09

बजट शाखा–5	राजस्व धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व पुनर्वास महिला एवं बाल विकास, जनसम्पर्क वन विभाग	25.9.09 26.9.09 29.9.09 30.9.09 1.10.09 3.10.09	5.10.09 6.10.09 7.10.09 8.10.09 9.10.09 12.10.09
बजट शाखा–6	चिकित्सा शिक्षा आदिम जाति अनुसूचित जाति क. पिछड़ा वर्ग 20 सूत्रीय कार्यन्वयन अल्पसंख्यक कल्याण लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल गैस त्रास्दी राहत एवं पुनर्वास वित्त विभाग	25.9.09 26.9.09 29.9.09 30.9.09 1.10.09 3.10.09 25.9.09 26.9.09	5.10.09 6.10.09 7.10.09 8.10.09 9.10.09 12.10.09 13.10.09 14.10.09
बजट शाखा–8	समान्य प्रशासन विभाग गृह जेल श्रम विधि एवं विधायी कार्य संसदीय कार्य विभाग	25.9.09 26.9.09 29.9.09 30.9.09 1.10.09 3.10.09	5.10.09 6.10.09 7.10.09 8.10.09 9.10.09 12.10.09
बजट शाखा–9	जल संसाधन नर्मदा घाटी आयाकट लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी लोक निर्माण विभाग	25.9.09 26.9.09 29.9.09 30.9.09 1.10.09	5.10.09 6.10.09 7.10.09 8.10.09 9.10.09

—/०-

वर्ष 2010–2011 का अनंतिम बजट कार्यक्रम

1	5 सितम्बर, 2009 तक	वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों को आयोजनेतर/आयोजना तथा राजस्व प्राप्तियों के अनुमान हेतु मुद्रा साफटवेयर का प्रदाय
2	22 सितम्बर, 2009 तक	राजस्व प्राप्तियॉ / वसूलियों के बजट अनुमान 2010–2011 के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
3	22 सितम्बर, 2009	आयोजना/आयोजनेतर बजट प्रस्ताव वर्ष 2010–2011 एवं नवीन मद के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
4	25 सितम्बर 2009 से 4 अक्टूबर, 2009 तक	राजस्व प्राप्तियॉ/आयोजनेतर बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव) के साथ चर्चा
5	5 अक्टूबर, 2009 से 14 अक्टूबर, 2009 तक	आयोजना बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव) के साथ चर्चा
6	15 अक्टूबर, 2009	प्रथम अनुपुरक अनुमान वर्ष 2009–2010 के प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि
7	20 अक्टूबर, 2009 से 30 अक्टूबर, 2009 तक	विभागीय सचिवों के साथ आयोजना / आयोजनेतर बजट प्रस्तावों पर वित्त सचिव स्तर पर चर्चा
8	5 नवम्बर, 2009 से 15 नवम्बर, 2009 तक	आवश्यकतानुसार विभागीय प्रमुख सचिव के साथ प्रमुख सचिव वित्त की चर्चा
9	31 दिसम्बर, 2009 तक	माननीय वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण हेतु सामग्री प्राप्त होने की अतिम तिथि
10	1 जनवरी, 2010 से 8 जनवरी, 2010 तक	आवश्यकतानुसार माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा अन्य विभागों के माननीय मंत्रीगणों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा
11	8 जनवरी, 2010	द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2009–2010 के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
12	10 जनवरी, 2010	राज्य शासन द्वारा 2009–10 मे दिनांक 31.12.2009 तक बकाया गारंटी की जानकारी वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
13	31 मार्च, 2010	प्रशासकीय विभागों द्वारा 31–3–2010 तक पुनर्विनियोजन / समर्पण के पारित आदेश वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि

विशेष सूचनाः–

1:– वर्ष 2010–2011 के बजट में कोई अपरीक्षित व्यय का नवीन मद सम्मिलित नहीं किया जावेगा और न पुनर्विनियोजन प्रस्ताव ऊपर अंकित तिथि के बाद मान्य किया जावेगा, विभागों से निवेदन है कि समय सारणी का कड़ाई से पालन करें ।

2:– वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक जी–25/9/90/नि–4, दिनांक 22–5–90 के अनुसार आदिवासी क्षेत्र उपयोजना तथा अनुसूचित जातियों के लिये उप योजना के बजटं प्रस्ताव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ को भेजें जावें ।

3:– वर्ष 2009–2010 प्रथम अनुपूरक अनुमान में शामिल की जाने वाली नवीन परियोजनाओं/कार्यों की सक्षम वित्तीय समिति से अनुशंसा 15 अक्टूबर, 2009 तक अवश्य प्राप्त कर ली जाये । सक्षम वित्तीय समितियों से अनुशंसित परियोजनाओं /कार्यों को ही प्रथम अनुपूरक बजट अनुमान में शामिल किया जायेगा ।